


समक्ष न्यायालय राजस्व मंडल ग्वालियर (म.प्र.)

पीठ - जबलपुर

राजस्व पुनरीक्षण याचिका क्र. R-703-114



1. गोपाल सिंह

पिता - फूलचंद राठौर  
निवासी - विजय नगर,  
प्लॉट नं. 1201, थाना - गोहलपुर  
तहसील व जिला - जबलपुर

अपिल अन्तर्गत अन्य  
अपिल क्र. 24, 214  
व. 564  
24/2/14

2. श्रीमती उषा राठौर

पति - श्री गोपाल सिंह राठौर  
निवासी - विजय नगर,  
प्लॉट नं. 1201, थाना - गोहलपुर  
तहसील व जिला - जबलपुर

..... पुनरीक्षणकर्तागण

विरुद्ध

1. श्रीमती सपना

पति - स्व. श्री गोविंद कुमार राठौर  
निवासी - विजय नगर, प्लॉट नं. 1201  
थाना - गोहलपुर, तहसील व जिला - जबलपुर

2. मध्यप्रदेश शासन

..... प्रत्यर्थागण

पुनरीक्षण याचिका अंतर्गत धारा - 50

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959

पुनरीक्षणकर्तागण, विद्वान अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय श्रीमान् एडीशनल कमिश्नर जबलपुर, संभाग - जबलपुर द्वारा अपील प्रकरण क्र. 754/अ-6/12-13 (श्रीमती सपना विरुद्ध गोपाल सिंह एवं एक अन्य ) जो अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व ) पाटन द्वारा राजस्व अपील प्रकरण क्र. 65/अ-6/11-12 (श्रीमती सपना राठौर विरुद्ध गोपाल सिंह राठौर) में पारित आदेश दिनांक 30/3/2013 से परिवेदित होकर प्रस्तुत की गई थी, में पारित आदेश दिनांक 3/2/2014 से व्यथित हो यह पुनरीक्षण याचिका निम्न तथ्यों एवं आधारों पर प्रस्तुत करते हैं :-


निरन्तर ..... 2


निरन्तर ..... 5


13-12-14  
लाइ करार

प्रकरण आज लाइ करार के बिना  
जाया आवेदक आफिसलाइड के आगे रिपोर्ट  
के अतिरिक्त लाइ करार के आगे के  
रिपोर्ट आवेदन पर पेश निवेदन बिना के प्रकरण  
के लाइ करार चाहते हैं क्योंकि लाइ करार-आधारित  
के लाइ करार के अधिकारिता है गया है।  
आवेदक आफिसलाइड पर अनुसंधान स्वीकार करते  
हुए प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता  
है। प्रकरण लाइ करार विना ही है।

*Pathane*

  
(Anil Kumar)  
अध्यापक

  
(Anil Kumar)  
अध्यापक

  
(Anil Kumar)  
अध्यापक